

Attachement 2.23

**वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन न होने का
प्रमाण-पत्र**

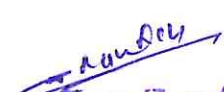
परियोजना का नाम : फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.046 हे०
आरक्षित, 1.564 हे० सिविल, कुल 2.610 हे० वन भूमि का लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि
पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी
विश्वजी पिण्डर रा
नारायणगढ़